क्रम संख्या–107 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 01, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 356/XXXVI(3)/2022/59(1)/2022

देहरादून, 22 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 21 दिसम्बर, .2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 12 वर्ष, 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या–03, वर्ष 2018) में संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 21 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम,2017 की धारा 21 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

"21. **इस अधिनियम के पंजीयन आदि के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति**– इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है,उसके सिवाय जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किन्ही उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन का दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गम्भीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाली कोई दुर्घटना हुई है, ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रूपए तक हो सकेगा , दण्डित किया जायेगा।"

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

नागरिकों हेतु ईज ऑफ लिविंग के अन्तर्गत नागरिकों को लघु उल्लंघनों हेतु कारावास के प्रावधानों से अपराध मुक्त किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (सेजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 21 में संशोधन प्रस्तावित है। यह संशोधन नागरिकों के लिए जीवन की अधिक सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया जा रहा है।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

No. 356/XXXVI(3)/2022/59(1)/2022
Dated Dehradun, December 22, 2022

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2022 (Act No. 12 of 2022)'**.

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 21 December, 2022.

The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service (Amendment) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 12 of 2022)

An

Act

to amend the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (Act No. 03, Year 2018)

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventythird Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2022

(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of section 21

2. **In section 21 of the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 shall be substituted as follows, namely :-**

" 21. Penalty for contravention of provisions of registration etc. of this Act

Save as otherwise expressly provided in this Act , where an employer on being held guilty of contravention of any of the provisions of this Act or any rules made thereunder which has resulted in an accident causing serious bodily injury or death of a worker , he shall , on conviction , be punished with fine which shall not be less than two lakh rupees and which may be extended upto ten lakh rupees ."

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of object and Reason

Amendment is proposed in section 21 of the Uttarakhand Shops and Establishment (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 2017 with a view to free citizens from the provisions of imprisonment for minor violations subject to Ease of Living for citizens. This amendment is being proposed with an objective to ensure greater ease of living for the citizens.

2- The proposed Bill fulfills above objective.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी / 759–2022–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।